UPSR040081542020

न्यायालय Chief Judicial Magistrate, Shravasti

पीठासीन अधिकारी– (Shitla Prasad) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**06036

Criminal Misc. Cases/470/2020

DHARM RAJ Vs. SMT. JAGWANTI DEVI

दिनांक १२.११.२०२०

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। आवेदक के अधिवक्ता को सुना जा चुका है। प्रार्थना पत्र अंतगर्त धारा-१५६(३) दण्ड प्रक्रिया संहिता पेश हुआ।

आवेदक का संक्षेप में कथन है कि दिनांक ३०.४.२०२० को समय करीब १२.३० बजे रात उसकी पत्नी मैना को बच्चा पैदा होने वाला था जिसे गांव की आशा बहू श्रीमती शिवानी गुप्ता व उनके पति राजू गुप्ता के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना ले जाया गया तथा प्रसव हेतु दाखिल किया गया जहां तैनात स्टाफ नर्स जगवन्ती देवी ने बच्चा पैदा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चा रात में १२.१० बजे पैदा कराया गया। बच्चा स्वस्थ था। उसके पश्चात जगवन्ती देवी द्वारा कहा गया कि मुझे १०,०००रू दीजिए। आवेदक के पास ६०००रू था जो उन्हें दिया गया तथा बकाया ४०००रू दूसरे दिन राजू गुप्ता जो आशा बहू का पति था, उसके हाथ भेजवाने की बात कही। इस बात पर नर्स नाराज हो गयी और कमरे में गयी और ५ मिनट बाद लौटकर आयी तो बताया कि आवेदक का बच्चा मर गया। आवेदक के बच्चे को नर्स जगवन्ती देवी ने गला दबाकर मार दिया और मरा हुआ बच्चा आवेदक की पत्नी को पकडा दिया और मौके से भगा दिया। इस प्रकार नर्स ने आशा बहू व उसके पति से साजिश करके आवेदक के नवजात शिशु की हत्या कर दी जो गम्भीर अपराध है। आवेदक ने कार्यवाही की मांग की और विभागीय जांच की मांग की जिसमें नर्स को बचाने का षडयन्त्र किया गया और आवेदक की सुनवाई नहीं की गयी। आवेदक ने घटना की सूचना जरिए पंजीकृत डाक पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजी किन्तु उसपर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण द्वारा उसके नवजात बच्चे को पैदा कराने तथा बाद में आवेदक द्वारा रूपया न देने पर उसका गला दबाकर मार देने का कथन किया है। अपने कथन के समर्थन में धर्मराज व मैना देवी की ओर से शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है किन्तु आवेदक की ओर से जो भी कथन अपने प्रा० पत्र में किया है वह सरसरी तौर पर किया गया प्रतीत होता है क्योंकि विपक्षी जगवन्ती देवी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना में स्टाफ

नर्स है, विपक्षी सं०२ शिवानी आशा बहू है तथा विपक्षी सं०३ राजू गुप्ता आशा बहू का पति है विपक्षीगण सं० १ व २ चूंकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है तथा उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है वह अपने पदीय कर्तत्यों के अंतर्गत किया गया प्रतीत होता है। आवेदक की ओर से अपने कथन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार से विपक्षी सं०१ व २ ने इलाज में लापरवाही की जिससे कि उसके नवजात शिशु की मृत्यु कारित हुयी। पत्रावली पर आवेदक द्वारा दिये गये शिकायती प्रा० पत्र पर सी०एच०सी० इकौना श्रावस्ती के अधीक्षक द्वारा तीन चिकित्सकों की जांच कमेटी गठित की गयी। उक्त जांच कमेटी द्वारा सम्पूर्ण जांच के उपरांत इस आशय की आख्या दी गयी है कि *"सभी लिखित बयानों एवं साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि लाभार्थी एवं उसके पति के द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है और न ही शिकायत कर्ता अपने आरोपों से सम्बिन्धत कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सका"* इस प्रकार अधीक्षक सी०एच०सी० इकौना द्वारा करायी गयी जांच में आवेदक द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि होना नहीं पाया गया है और उक्त अभिलेख स्वयं आवेदक की ओर से ही संलग्न किये गये है। इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक की ओर से कोई अभिलेखीय साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह स्पष्ट हो कि उक्त आख्या गलत एवं फर्जी है। चूंकि मामले में चिकित्सीय आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्र एवं मामले की तथ्यों एवं परिथितियों को दृष्टिगत रखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षीगण पर दबाव बनाने हेतु मामले को फौजदारी रूप देने हेतु काल्पनिक घटना बनाकर आवेदक ने न्यायालय में प्रा० पत्र अंतर्गत धारा-१५६।३। न्यायालय में योजित कर दिया है। माननीय उच्चत न्यायालय की अद्यतन विधि व्यवस्था **मोहम्मद उल रहमान बनाम खाजिरी मोहम्मद टुण्डा व अन्य (२०१६) एस०सी०सी० क्रि० १२४** में यह अवधारित किया है कि न्यायालय की प्रक्रिया को किसी के प्रति दबाव बनाने अथवा शोषण करने हेतु हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः मामले की सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिथितियों को देखते हुये प्रा० पत्र अंतर्गत धारा-१५६।३। दं०प्र०स खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-१५६।३। दं०प्र०सं० तदनुसार खारिज किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रावस्ती।